भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3161

उत्तर देने की तारीख : 06.08.2026

कर्नाटक में सामान्य सुविधा केंद्र

3161. श्री राधाकृष्णः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में किसी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्लस्टर योजना के अंतर्गत दाल/अरहर प्रसंस्करण इकाइयों के लिए कोई सामान्य सुविधा केन्द्र अथवा क्लस्टर विकास अनुदान स्वीकृत किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे केन्द्र के लिए कितनी धनराशि आवंटित, स्वीकृत, जारी की गई और उपयोग में लाई गई;

(ग) उद्यम के अंतर्गत कलबुर्गी में पंजीकृत एमएसएमई दाल मिलिंग इकाइयों की संख्या कितनी है और केन्द्र की स्थापना के बाद से उनके कारोबार में हुई कथित वृद्धि, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्र द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है तो क्या सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि हां, तो एक प्रमुख अरहर प्रसंस्करण केन्द्र के रूप में कलबुर्गी की स्थिति/स्थिति को ध्यान में रखते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क), (ख) और (घ) : सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) स्कीम सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) की स्थापना और बुनियादी ढांचे के सृजन/उन्नयन के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने के लिए मांग आधारित केंद्रीय क्षेत्र की एक स्कीम है। स्कीम के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार सहायता के लिए राज्य सरकारों द्वारा अनुशंसित प्रस्तावों पर विचार किया जाता है।

इस संबंध में एमएसई-सीडीपी के अंतर्गत कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में दाल/अरहर प्रसंस्करण इकाइयों के लिए राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) : कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में दाल/दलहन मिलिंग के लिए उद्यम पर पंजीकृत कुल एमएसएमई और कारोबार (टर्नओवर) (01/07/2020 से 31/07/2026 तक) निम्नानुसार है:

तालिका: कलबुर्गी में दाल/दलहन मिलिंग के लिए पंजीकृत एमएसएमई (01.07.2020 - 31.07.2026)

सूक्ष्म उद्यम (संख्या)	लघु उद्यम (संख्या)	मध्यम उद्यम (संख्या)	कुल (संख्या)	कारोबार (करोड़ रुपए)
345	129	5	479	4,330.50
